योजना थी और आप इसको और भी बढ़ा रहे होंगे । मैं यह पूछना चाहता हूं कि हमारे देश में जो पिछड़े इलाके हैं जैसे उत्तरी बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश का इलाका है, वहां के लिए भी आपके पास कोई योजना है? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि मुगलसराय और आसनसोल के बीच ट्रैक का इलेक्ट्रिफिकेशन करने की सातवीं पंचर्षीय योजना में क्या कोई योजना है?

श्री माधवराव सिंधिया : इसके लिए मुझे सैपरेट नोटिस चाहिए ।

हिन्दी माध्यम वाले छात्रों को दिल्ली के महाविद्यालयों में प्रवेश देने से इन्कार

*328. **श्री प्यारेलाल खंडेलवाल** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के उन महाविद्यालयों के प्रबन्धकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है जिन्होंने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों तथा बारहवीं कक्षा तक अंग्रेजी न पढ़ने वाले छात्रों को प्रवेश देने से मना कर दिया है; और

(ख) क्या सरकार ने हिन्दी माध्यम वाले छात्रों के साथ महाविद्यालयों में भेदभाव को रोकने के लिये आदेश दिये हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री के० सी० पन्त) : (क) और (ख) चालू वर्ष के दौरान अवर-स्नातक पाठ्यक्रमों में पंजीकृत किए गए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की कुल संख्या 3,533 थी । इन सभी उम्मीदवारों में से 14 उम्मीदवारों को उनकी रुचि के अनुकूल पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिया गया । विश्वविद्यालय ने शेष छात्रों को भी दाखिला देने का निर्णय किया है, यदि वे उन पाठ्यक्रमों में दाखिला के लिए अनुरोध करते हैं जिनमें स्थान उपलब्ध हैं ।

इस आशय के कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे कि शुरू में कुछ छात्रों को कुछेक कालेजों में इस आधार पर प्रवेश नहीं दिया गया था कि स्कूल स्तर पर उनकी शिक्षा का माध्यम हिन्दी था । तथापि, विश्वविद्यालय के हस्तक्षेप पर सम्बन्धित कालेजों ने आखिरकार ऐसे सभी छात्रों को दाखिल कर लिया है ।

श्री प्यारेलाल खंडेलवाल : माननीय सभापति जी, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है उसमें उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि 3,533 छात्रों में से केवल 14 छात्रों को अभी तक प्रवेश दिया गया है । शेष 3519 छात्रों को अभी तक प्रवेश . . .

श्री के० सी० पन्त : उनकी गलती नहीं है, हिन्दी में गलत आया है । हिन्दी अनुवाद गलत है । हिन्दी के उत्तर को आप देखें उसमें है कि 14 को छोड़कर बाकी को मिल गया है ।

SHRI PARVATHANENI UPENDRA: It is a very serious matter.

श्री प्यारेलाल खंडेलवाल : मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि व हिन्दी अनुवाद ठीक करके दिया करें ताकि उसको ठीक समझा जा सके । सारी गड़बड़ी यही है । मैंने अपना सवाल हिन्दी में पूछा था लेकिन माननीय मंत्री जी ने उसका जवाब अंग्रेजी में दिया । अंग्रेजी में ओरिजनल जवाब है जब कि हिन्दी में ओरिजनल जवाब होना चाहिए था । जो कुछ हिन्दी में लिखकर दिया गया है उसमें से मैंने ठीक अर्थ निकाला है ।

श्री के० सी० पन्त : मैं हिन्दी में पढ़ लेता हूं। आपको सन्तोष हो जायेगा । (क) और (ख) चालू वर्ष के दौरान अवर-स्नातक पाठ्यक्रमों में पंजीकृत किए गए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की कुल संख्या 3,433 थी। (अब इस अगले वाक्य को देखिये) 14 उम्मीदवारों को छोडकर उन सभी उम्मीदवारों को उनकी रुचि के अनुकूल पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिया गया । विश्वविद्यालयों के शेष छात्रों को भी दाखिला देने का निर्णय किया है, यदि वे उन पाठ्यक्रमों में दाखिला के लिए अनुरोध करते हैं जिनमें स्थान उपलब्ध हैं ।

इस आशय के कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे कि शुरू में कुछ छात्रों को कालेजों में इस आधार पर प्रवेश नहीं दिया गया था कि स्कूल स्तर पर उनकी शिक्षा का माध्यम हिन्दी था। तथापि, विश्वविद्यालय के हस्तक्षेप पर संबंधित कालेजों ने आखिरकार ऐसे सभी छात्रों को दाखिल कर लिया है।

श्री प्यारेलाल खंडेलवाल : माननीय सभापति जी, मेरे प्रश्न के पहले भाग का उत्तर फिर भी वही निकलता था अगर आखिर में दुरुस्त नहीं कर दिया जाता। मैं यह पूछना चाहता हूं कि जिन अधिकारियों ने हिन्दी माध्यम से पढ़ने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश नही दिया उनके खिलाफ सरकार ने क्या कार्यवाही की, या विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की ?

श्री के० सी० पन्त : यही मैंने कहा कि विश्वविद्यालय ने जब उनसे बातचीत की तो उन कालेजों ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि हिन्दी माध्यम से पढ़े हुए जो लड़के आये हैं उनको दाखिला दे देंगे और उनको वहां दाखिला मिल चुका है।

श्री प्यारेलाल खंडेलवाल : महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। आप मेरा प्रश्न समझ लीजिये। मेरा प्रश्न बिल्कुल सीधा और सरल है कि जिन अधिकारियों ने हिन्दी माध्यम से पढ़ने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं दिया शुरू में तो क्यों नहीं दिया? इसका कारण क्या है? अगर उन्होंने नहीं दिया और भारत के संविधान में हिन्दी को मान्यता प्राप्त है इसके कारण उन्होंने संविधान के विपरीत काम किया। तो मैं जानना चाहता हूं कि उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है यह आप मुझे बतायें? दाखिला अब दे दिया लेकिन पहले यह क्यों नहीं दिया गया?

श्री के० सी० पन्त : कार्यवाही तो कोई नहीं की गई और न आवश्यकता है। इस बात को समझने की जरूरत है कि क्यों उन्होंने दाखिला नहीं किया यह बात आपकी सही है। लेकिन कुछ कालेजों में पढ़ाई केवल अंग्रेजी माध्यम से होती है, हिन्दी के माध्यम से नहीं होती। इसलिये उन कालेजों में वहां के जो अधिकारी हैं वे यह कहते हैं कि अगर आप केवल हिन्दी माध्यम से पढ़कर आये हैं तो आपको कठिनाई हो सकती है। इसलिये उन्होंने कहा कि आप हमारे यहां दाखिल न लेकर दूसरी जगह ले लीजिये। यही इसका कारण था। लेकिन विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने उनको समझाया कि आप ले लीजिये तो वे लड़के कहीं न कहीं ले लिये गये हैं।

श्री प्यारेलाल खंडेलवाल : मेरा दूसरा सवाल है, सेकंड सप्लीमेंटरी. . .

MR. CHAIRMAN: No, you have put three questions. I am not allowing.

श्री प्यारेलाल खंडेलवाल : मुझे केवल पहले सवाल का जवाब मिला है। मैंने दूसरा सप्लीमेंटरी नहीं पूछा है।

MR. CHAIRMAN: Will you please sit down? Shri Vishvajit Singh.

श्री प्यारेलाल खंडेलवाल : मैंने दूसरा सप्लीमेंटरी नहीं पूछा है. . . .

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.

श्री प्यारेलाल खंडेलवाल :*

[*At this stage, the hon. Member left the Chamber.*]

श्री विश्वजित पृथ्वीजित सिंह : माननीय मंत्री जी ने वर्णन किया है अपने स्टेटमेंट में. . .

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

MR. CHAIRMAN: No point of order during Question Hour. Not allowed.

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : आप से सुरक्षा मांगने का अधिकार हमको है। आपने . .

MR. CHAIRMAN: No, nothing will go on record.

SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV:

*Not recorded.

. MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.

SHRI PAGDAMRI PRASAD YA- | DAV: *

MR. CHAIRMAN: Will you please sit down?

श्री विश्वजित पृथ्वीजित सिंह : सभापति महोदय, मैं तिबारा दुबारा नहीं, महोदय, तिबारा पूछ रहा हूं ।

माननीय मंत्री जी ने वर्णन किया है कि कितने कैंडिडेट्स थे और शैडूल्ड कास्ट्स और शैडूल्ड ट्राइब्स के स्टूडेंट्स के संख्या की जानकारी तो उन्होंने हमको दे दी है, परन्तु उस संख्या की जानकारी नहीं दी है कि कितने पाठक थे जोकि केवल इंगलिश नहीं पढ़ हुए थे, अंग्रजी उन्होंने बारहवीं जमात तक नहीं पढ़ी थी और वह कितने थे जिनको एडमिशन से इनकारी दी गई है ।

श्री के० सी० पन्त : एडमिशन से किसी को इनकार नहीं की गई है। सब को एडमिट कर दिया गया है।

श्री विश्वजित पृथ्वीजित सिंह : मैं नम्बर पूछ रहा हूं उसका जवाब नहीं देते।

MR. CHAIRMAN: He says nobody has been refused admission.

SHRI VISHVAJIT PRITHVIJIT SINGH: They were refused. MR. Chairman, Sir, they refused in the first instance. They were allowed later. I only want to gnow their number. That's all.

.... *(Interruptions)'*....

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : यह क्या जवाब है, उन्होंने नम्बर पूछा है।

.... *(Interruptions)*....

SHRI K.C. PANT; I do not have the number with me, Sir.

MR. CHAIRMAN: Why do you people think the Chair is not able to take of itself? I don't need your assistance I can deal with it. Have you got the number? He says "No."

*Not recorded.

श्री हुक्मदेव नारायण यादव सभापति महोदय, मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं--अभी मंत्री महोदय कहते हैं कि किसी को रोका नहीं गया और कहते हैं कि रोका भी गया है । यह दो तरह की बातें आ रही हैं। प्रारम्भ में महाविद्यालय में जब नामांकन लेने के लिए गये, तो हरिजन, आदिवासी छात्रों को रोका गया और विश्वविद्यालय के आदेश पर उनका नामांकन हुआ । तो महाविद्यालय के जो प्राचार्य थे और प्रबंधक थे, उन्होंने हरिजन, आदिवासियों को प्रवेश के लिए रोका और जब सरकार हरिजन और आदिवासी को विशेष सुविधा देती है नौकरी में सुविधा देती है, उनके लिए विशेष उद्यम करती है, तो क्या उन महाविद्यालयों में ऐसा इंतजाम सरकार करेगी कि अंग्रेजी माध्यम से जो हरिजन, आदिवासी छात्र नहीं पढ़ा हुआ होगा, उनके लिए विशेष वर्ग की व्यवस्था करे अंग्रेजी में और विशेष पढ़ाई पढ़ा कर उसी कालिज में उनका नामांकन करवाए ।

नम्बर दो, जिस कालेज में अभी अंग्रेजी के माध्यम से आंका जाता है हिंदी में शिक्षा पाये हुए लोगों को इन्कार किया जाता है, तो भारत के संविधान में हिंदी राजभाषा है और अंग्रेजी सह-भाषा है और जब राजभाषा का अपमान हो रहा है, तो फिर उस कालेज को इस देश में चलने का हक क्या है कि जो हिंदी में लोगों को पढ़ने नहीं दे ?

श्री के० सी० पन्त : सभापति जी, एक तो आपने पहले सवाल यह किया कि जो शैडूल्ड कास्ट्स एण्ड शैडूल्ड ट्राइब्ज बच्चे हैं, उनको युनिवर्सिटी ने दाखिला नहीं दिया, या उस पर ना की । ऐसी बात नहीं है ।

युनिवर्सिटी में पहले रजिस्टर करना होता है । शैडूल्ड कास्ट्स और शैडूल्ड ट्राइब्स के बच्चों के लिए यह सुविधा है कि जहां अन्य बच्चों को कालेजों में जाना पड़ता है रजिस्ट्रेशन के लिए, शैडूल्ड कास्ट्स और शैडूल्ड ट्राइब्स के बच्चे भी युनिवर्सिटी में जाते हैं । तो सारे बच्चे

एक ही जगह जाकर अपने को पहले रजिस्टर करते हैं । उसके बाद कोर्सेज का देखा जाता है और कोर्सेज जो उनकी इच्छा है, उसके अनुसार अलग-अलग कोर्सेज में, अलग-अलग कालेजों में उनको बांटा जाता है ।

जो न्यूनतम मार्क्स हैं जिसमें औरों को लिया जाता है, उससे भी कम नम्बरों में उनको लिया जाता है । अगर दूसरों को 40 प्रतिशत में लिया जाता है, तो उनको 5 प्रतिशत की छूट दी जाती है । अगर उस पर भी वह संख्या पूरी नहीं होती, तो 33 प्रतिशत तक चले जाते हैं, जिसमें कि बाहरवीं पास करके वह आये हों ।

उसके बाद 14 की बात आई है । तीन हजार कुछ विद्यार्थियों में से केवल 14 का प्रश्न उठा । वह ऐसे उठा कि उन कोर्सेज में जितनी आरक्षित सीट्स थीं वह भी पूरी हो गई थीं शैडूल्ड कास्ट्स एण्ड शैडूल्ड ट्राइब्स के बच्चों से, दूसरों से नहीं । तो जब आरक्षण पूरा हो गया, तो उसके बाद यह बाकी रह गये । तो इनको दूसरे कोर्सेज में जाने का प्रश्न उठा । अगर उसमें आरक्षित सीट होती, तो उसी में चले जाते, परन्तु ज्यादा नम्बर के जो आरक्षित बच्चे थे, उन को उसमें प्रवेश दिया गया । और मैं समझता हूं कि यह बात सही है, आप भी इसको सही मानेंगे । दूसरा प्रश्न यह है कि आपने कहा कि अंग्रेजी में कोर्सेज होने चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए, स्पेश्यल कोचिंग होनी चाहिए तो दिल्ली में 16 कालेजों में इस तरह की अंग्रेजी की कोचिंग क्लासेज होती हैं । उनके नाम मेरे पास हैं, आप चाहें तो मैं बता सकता हूं । तीसरा प्रश्न यह था कि क्या माध्यम होना चाहिए ? तो यह यूनिवर्सिटी को तय करना होता है और यह यूनिवर्सिटी तय करती है कि क्या माध्यम हो या फिर एकैडमिक काउंसिल का काम है ।

श्री अच्छे लाल बाल्मीक : सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा आपके माध्यम से कि क्या छोटी कक्षाओं से लेकर बड़ी कक्षाओं तक में शैडूल्ड कास्टस और शैडयूल्ड ट्राइब्ज के लिए क्लासवाइज कितना आरक्षण है ?

इसके अलावा दूसरी बात जो निजी स्कूल चल रहे हैं, उनमें भी क्या शैडयूल्ड कास्टस और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के बच्चों को आरक्षण दिया जाता है या नहीं ?

श्री के० सी० पन्त : मान्यवर, एसा आरक्षण 15 परसेंट शैडयूल्ड कास्टस के लिए और साढ 7 परसेंट शैड्यूल्ड ट्राइब्ज के लिए है ।

श्री धर्मचन्द्र प्रशान्त : सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि दिल्ली के कालेजों में जो विद्यार्थी जिन्हें कि हिन्दी में प्रश्नों के उत्तर देने में अधिक सुविधा है तो उन पर क्यों प्रतिबंध है कि वे अंग्रेजी में ही प्रश्नों के उत्तर दें और उन विषयों को जिनका संबंध अंग्रेजी से नहीं है...... **(व्यवधान)**

MR, CHAIRMAN: It is not a question. Please put your question.

श्री धर्मचन्द्र प्रशान्त : यही क्वेश्चन है ।

MR, CHAIRMAN: Is .that the question? Why instructions have not been given? Mr. Minister, you can give the'answer.

श्री के० सी० पन्त : मुझे इसकी जानकारी करनी पड़ेगी कि किन कालेजों में किस माध्यम से उत्तर देने की इजाजत दी जाती है ।

श्री मीर्जा इर्शादबेग : मान्यवर मैं यह पूछना चाहता हूं कि तमाम जो विद्या हमारे सामने आई है जो हकीकत बनी है इसको प्राथमिक तबके में प्रवेश के जो नियम बनाए हैं उसमें क्या कोई ऐसा डिसक्रिमीनेशन था जिससे प्राथमिक तौर पर उन्होंने इसको डिसक्रिमीनेशन लेते हुए महज हिन्दी की जानकारी की बिनाह पर एडमिशन को इंकार किया है ?

श्री के० सी० पन्त : मैंने पहले भी यह सूचना दी थी कि उन कालेजों में जहां पर कि केवल अंग्रेजी में पढ़ाई होती है, वहां के अधिकारियों ने यह बात उठाई है कि जब आप केवल हिन्दी में ही पढ़कर आये हैं तो अंग्रेजी में आपको कठिनाई हो सकती है तो यह व्यावहारिक प्रश्न है, क्या होना चाहिए यह सवाल एक दूसरे माननीय सदस्य ने उठाया है, इस सब की जो वास्तविकता है उसको देखते हुए, कठिनाई का सवाल रह जाता है वह अलग बात है, लेकिन इस वक्त की जो वास्तविकता है उसमें इस बात को आम आदमी समझ सकता है कि जिस कालेज में हिन्दी में पढ़ाई नहीं होती उसमें उस लड़के को जिसने कि अंग्रेजी में पढ़ाई नहीं की है, कठिनाई हो सकती है । इसलिए इस बात को तो हमें समझना चाहिए । क्या करना है, यह अलग प्रश्न है ?

SHRI INDRADEEP SINHA: Sir, I have an important thing on this question.

MR. CHAIRMAN: No, no.

SHRI INDRADEEP SINHA: I have visited the Delhi University iii that connettion.

MR. CHAIRMAN: I cannot allow everybody.

Theft of steel from the Pench-Hydro Electric Project at Nagpur

*329. SHRI INDRADEEP SINHA:-
SHRI SURAJ PRASAD;

Will the Minister of IRRIGATION AND POWER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that steel worth one crore of rupees was stolen from the Pench-Hydro Electric Project al Nagpur; and

(b) if so, what action has been taken in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF POWER (SHRI ARUN NEHRU): (a) Government of Maharashtra has intimated that on 9-7-85 the police intercepted two trucks carrying steel costing about Rs. 50,000 stolen from the stores of the pench Hydro-electric Project stt Nagpur.

(b) A complaint was lodged' with the police who have arrested two employees of the project and investigations are in progress.

SHRI INDRADEEP SINHA: Sir, I would again comment that the answer given by the hon. Minister seeks more* to conceal the facts than to reveal them.

I am now putting the question. Is it a fact than the two trucks were seized by the Maharashtra police in a routine check-up and that the truck drivers have stated that the steel rods were being taken to a firm in Bombay near Bandra and that there was a regular racket of stealing steel from the project stock yard?

(b) *in* it also a fact that after the Executive Engineer of the project lodged a FIR, a Junior Engineer and a Supervisor were arrested and the superior officers transferred that Executive Engineer immediately for having committed the offence of lodging a FIR? SHRI ARUN NEHRU: First oi all -the items which have been mentioned is steel wroth of Rs. 50,000 and not silver worth of Rs. 1 crore. The seizure was made on the 9th and whepi the police detected it a FIR was lodged on the 10th and on the 12th police have arrested a Junior Engineer and a Store Attendant of that project.

As lar as the enquiry is concerned, the State Government has handed over the ca«e to the Anti-Corruption Bureau. Only when the investigations are revealed, we will know the full details. The information we received so far 's that oa a routine check on the 9th these two trucks were caught. There were 11 tonnes of steel worth of Rs. 1*6,000.

MR. CHAIRMAN: Second supplementary.

jThe question was actually asked on the floor of the House hy Shri Icidradeep Sinha.